संख्याः 418 /उन्तीस(2)/12–2(40पे0)/2011

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषय– यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत मसूरी नगर की सीवरेज योजना के सीवरेज शोधन संयंत्रों के रख–रखाव हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 51/नग0यो0 अनु0–जे0एन0एन0यू0आर0 एम0/06 दिनांक 19–01–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत मसूरी नगर की सीवरेज योजना के सीवरेज शोधन संयंत्रों के पॉच वर्षो के रख–रखाव हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनानुसार लागत ₹ 3232.31 लाख में से विद्युत/डीजल एवं सेन्टेज की राशि को कम करते हुये रख रखाव हेतु ₹ 333.20 लाख (₹ तीन करोड़ तैतीस लाख बीस हजार मात्र) लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– इसके द्वारा किसी भी धनराशि के व्यय की स्वीकृति न देकर मात्र प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है। विभाग द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत मसूरी नगर की सीवरेज योजना के कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के आपरेशन एवं मैन्टीनेन्श की आवश्यकता पर उक्त स्वीकृत धनराशि के प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जायेगी। अनुमानित लागत के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी आधार पर न्यूनतम दर एवं ठेकेदार/सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जायेगा। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत मसूरी नगर की सीवरेज योजना के सीवरेज शोधन संयंत्रों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आपरेशन एवं मेन्टीनेंस की आवश्यकता पर उक्त स्वीकृत अनुमानित धनराशि की सीमान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त विद्युत/डीजल की खपत के सापेक्ष व्यय हेतु धनावंटन यथासमय यथा आवश्यकता कर लिया जाय।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

5– एक मुश्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का सर्वेक्षण/निरीक्षण भलीभॉति अवश्य करा लिया जाय तथा सर्वेक्षण/निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

क्रमशः .....2.....

9– योजना की स्वीकृत लागत में सेन्टेज हेतु पृथक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

10– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–324/XXVII(2)/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव

संख्याः 418(i)/उन्तीस(2)/12–2(40पे0)/2011,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव–प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
12– वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0 बी0 ओली),
संयुक्त सचिव